


(361)

(237)

III/निगा/रीवा/2017/क्रमांक/2940

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.



Rs. 30/-

गया प्रसाद पिता स्व. मिथिला प्रसाद सभी निवासी पुर्वा, तह. सिरमौर,  
जिला— रीवा म.प्र.

— निगरानीकर्ता

बनाम

- 1— बृजमोहन प्रसाद पिता सूर्यवली प्रसाद
- 2— लालमणि प्रसाद पिता सूर्यवली प्रसाद
- 3— सौखीलाल प्रसाद पिता सूर्यवली प्रसाद

सभी निवासी ग्राम पुर्वा, तह. सिरमौर, जिला— रीवा म.प्र.

मुकावेद गदा प्राप्त कर्त्ता पंथका जहां सन् साखन विजा बा. रीवा गैरनिगरानीकर्ता गण  
दाता दाता । 29.8.17 कुप्पार किमा ॥ फिलांक - ३४ - ५ - १८

यह निगरानी रा. प्र. क. 63 /अ-12/2016

—17 में पारित आदेश दिनांक 29.6.17 के  
विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

राजा (सर्किट काट) रीवा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू— रा. सं.  
1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं—

- 1— यह कि गैरनिगरानीकर्ता गण द्वारा आ. नं. 481/1 रकमा 0.310 है.  
स्थित पुर्वा — 317 तह. सिरमौर, जिला— रीवा म.प्र. के सीमांकन आवेदन

रीवा १९८५  
११/८५  
११/८५

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश राजालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक. ३। (ग्रन्थ।) के १२१८०। अ.७..... जिला रीवा

ग्राम पुस्ताद विरुद्ध बुजाहत प्रस्ताद

1	2	3
1. आवेदक की ओर से श्री. ज्ञापपुरुष राजस्व अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त एवं तहसील क्रमांक ५१४१२ के प्रकरण क्रमांक ६३। ग्रन्थ। १। २०।६।१८ में पारित आदेश दिनांक २९। ०६। २०।१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २९। ३। १९ को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।		

२  
सदस्य

